

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

कार्यालय आदेश

का०आ०सं० :-2 / अ०प्र०-१-१३/२०१८ ३५ / पटना, दिनांक : -)४.४.२४

चूँकि विभाग को ऐसा विश्वास करने का कारण है कि श्री निर्मल कुमार सिंह, तत्कालीन कनीय अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, सहरसा सम्प्रति सेवानिवृत्त द्वारा कार्य प्रमंडल, सहरसा अन्तर्गत सुलिन्दाबाद एस०एच० से मोरकाही-कोरलाही होते हुए सुबेदारी चौक तक पथ मरम्मति कार्य में अनियमितता बरती गयी है, जैसा कि संलग्न आरोप पत्र में अन्तर्विष्ट है। इसलिये विभाग ने ओदश दिया है कि श्री निर्मल कुमार सिंह, तत्कालीन कनीय अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, सहरसा सम्प्रति सेवानिवृत्त के विरुद्ध बिहार पेंशन नियमावली के नियम-४३(बी) के तहत विहित रीति से विभागीय कार्यवाही संचालित की जाय।

2. विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु मुख्य अभियंता-१, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को संचालन पदाधिकारी तथा श्री मुकेश श्रीवास्तव, सहायक अभियंता, मुख्य अभियंता-४ का कार्यालय, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को विभाग का पक्ष प्रस्तुत करने हेतु प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

3. श्री निर्मल कुमार सिंह, तत्कालीन कनीय अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, सहरसा सम्प्रति सेवानिवृत्त, पत्राचार का पता :—कुँवर टोला, वार्ड नं०-१८, गंगजला, सहरसा से यह अपेक्षा की जाती है कि वे संचालन पदाधिकारी के समक्ष आदेश की प्राप्ति के दस कार्य दिवस के पश्चात् किसी भी समय, जैसा कि संचालन पदाधिकारी अनुमति दें स्वयं उपस्थित हो।

४३(११)

(अशोक कुमार मिश्र)
अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक :-2 / अ०प्र०-१-१३/२०१८

/ पटना, दिनांक :-

प्रतिलिपि :—आरोप पत्र/साक्ष्य की प्रति के साथ मुख्य अभियंता-१, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना—सह—संचालन पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुरोध है कि अविलम्ब विभागीय कार्यवाही आरम्भ कर दी जाय तथा ४५ (पैंतालीस) दिनों के अन्दर विभागीय कार्यवाही पूर्ण कर जाँच प्रतिवेदन अपने मंतव्य के साथ तीन प्रतियों में तथा कार्यवाही अभिलेख विभाग को समर्पित करने की कृपा की जाय।

अनु० :- यथोक्त।

४३(११)

अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक :- 2 / अ०प्र०-१-१३ / २०१८

/ पटना, दिनांक :-

प्रतिलिपि :- आरोप पत्र/साक्ष्य की प्रति के साथ श्री मुकेश श्रीवार्तव, सहायक अभियंता, मुख्य अभियंता-४ का कार्यालय, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना-सह- प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी एवं श्री निर्मल कुमार सिंह, तत्कालीन कनीय अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, सहरसा सम्प्रति सेवानिवृत्, पत्राचार का पता :—कुँवर टोला, वार्ड नं०-१८, गंगजला, सहरसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु० :- यथोक्त।

५३/४/२१

अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक :- 2 / अ०प्र०-१-१३ / २०१८ ।।२५

/ पटना, दिनांक:- ।४।४।२।

प्रतिलिपि:- अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, सहरसा/कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग कार्य प्रमंडल, सहरसा/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-४, ग्रामीण कार्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु तथा आई०टी० मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय बेवसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

५३/४/२१

अभियंता प्रमुख

(८)

२०१८-०४-१३
मुकेश श्रीवार्तव